



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2010/चैत्र 18, 1932

No. 663]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2010/CHAITRA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

(आय-कर)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2010

(INCOME-TAX)

का.आ. 793(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) तथा उप-नियम (6) के खण्ड (ii), खण्ड (iii) तथा खण्ड (v) के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खण्ड (48) के प्रयोजनार्थ जीरो कूपन बंधपत्र के रूप में निम्नलिखित विवरणों सहित बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करती है, नामतः :—

- (क) बंधपत्र का नाम : रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर ई सी) का दस वर्ष डीप डिस्काउंट बंधपत्र (जीरो कूपन बंधपत्र);
- (ख) बंधपत्र की कुल अवधि : दस वर्ष;
- (ग) बंधपत्र के जारी करने की समय सीमा : 31 मार्च, 2011 को अथवा उससे पहले जारी किया जाएगा;
- (घ) परिपक्वता अथवा निर्माण पर बंधपत्र की दी जाने वाली राशि : प्रत्येक बंधपत्र के लिए तीस हजार रुपये;
- (ङ) छूट : 4,736.25 करोड़
- (च) जारी किए जाने वाले बंधपत्रों की संख्या : पच्चीस लाख

[अधिसूचना सं. 24/2010/फा. सं. 164/02/2008-आई टी ए-1]

पदम सिंह, अवर सचिव

S.O. 793(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with clause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause (48) of Section 2 of the said Act, namely :—

- (a) Name of the bond : ten-year Deep Discount Bond (Zero Coupon Bond) of Rural Electrification Corporation Limited (REC);
- (b) period of life of the bond : ten years;
- (c) the time schedule of the issue of bond : to be issued on or before the 31st day of March, 2011;
- (d) the amount to be paid on maturity or redemption of the bond : thirty thousand rupees for each bond;
- (e) the discount : 4,736.25 crores
- (f) the number of bonds to be issued : twenty-five lakhs.

[Notification No. 24/2010/F. No. 164/2/2008-ITA-1]

PADAM SINGH, Under Secy.